भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1238

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5श्रावण,1948 (शक)

मिजोरम को एसएएससीआई निधि

†1238. श्री रिचर्ड वनलालहमंगइहाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 सहित विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' (एसएएससीआई) के अंतर्गत मिजोरम सरकार को स्वीकृत कोई निधि व्यपगत हुई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत, जारी की गई, उपयोग की गई और व्यपगत हुई निधि का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी निधि के व्यपगत होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिजोरम सरकार द्वारा एसएएससीआई निधि के गैर-उपयोग या उपयोग में देरी की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को एसएएससीआई निधि के व्यपगत होने या जारी न होने के संबंध में मिजोरम सरकार से कोई पत्र या रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिजोरम भविष्य में पात्र एसएएससीआई सहायता से वंचित न हो और स्वीकृत परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हों, सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र/(यू सी) के अनुसार, एसएएससीआई के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान मिज़ोरम राज्य को जारी की गई निधियों में कोई निधि व्यपगत/अप्रयुक्त नहीं हुई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी, उपयोग की गई तथा व्यपगत निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

एसएएससीआई के तहत मिज़ोरम को जारी निधियों का विवरण (राशि करोड़ में)				
वर्ष	स्वीकृत/अनुमोदित राशि	जारी राशि	उपयोग की गई राशि	अप्रयुक्त/व्यपगत राशि
2023-24	1096.19	743.28	627.19	शून्य*
2024-25	1402.09	1361.09	1112.18	शून्य#
2025-26	1597.27	1510.75	-	$-

*वर्ष 2023-24 के लिए, भाग-II के तहत यूनिटी मॉल (भाग-VI), पुलिस कार्मिकों के लिए आवासन (भाग-V) तथा बाल और किशोर पुस्तकालय (भाग-VII) परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 232.19 करोड़ रुपए और भाग-I के तहत 233.31 करोड़ रुपए तथा भाग-II के तहत 3.5 करोड़ रुपए की दावा नहीं की गई राशि की दूसरी किस्त के लिए यूसी की आवश्यकता नहीं थी।

#वर्ष 2024-25 के लिए, वर्किंग वूमेन हॉस्टल (भाग-X) परियोजना के लिए स्वीकृत 127 करोड़ रुपए की राशि, भाग-I के तहत "प्राकृतिक आपदा" के घटक के तहत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 137.5 करोड़ रुपए की राशि तथा भाग-IX (सीएसएस के राज्य हिस्सा) के तहत 25.5 करोड़ रुपए की दावा नहीं की गई राशि की दूसरी किस्त के लिए यूसी की आवश्यकता नहीं थी।

$एसएएससीआई 2025-26 के तहत स्वीकृत/जारी निधियों के लिए राज्य द्वारा यूसी प्रस्तुत किया जाना शेष है।

(ड.) एसएएससीआई के तहत, राज्य अपनी पसंद की परियोजनाएं प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित सभी मामलों, जिनमें तकनीकी और वित्तीय अनुमानों का अनुमोदन, निविदा और निर्माण ठेके सौंपना तथा परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी की गति और गुणवत्ता शामिल हैं, का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

एसएएससीआई 2026-27 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर पूरी होने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, बेहतर एकाग्रता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एसएएससीआई के तहत सहायता का लाभ लेने के लिए अधिकतम पांच क्षेत्रों को प्राथमिकता देने तथा तद्नुसार परियोजना के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
